



दिनांक 01.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति 238 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना कैण्ट

- चोरी की घटना का अनावरण
 - 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के 11 लाख 48 हजार रुपये नगद
- चोरी के पीली-सफेद धातु के आभूषण
- घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन बरामद

दिनांक 01-05-2026 को थाना कैण्ट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लोको चौराहा, पानी टंकी के पास से 03 अभियुक्तों 1-आदिल 2-सूरज 3-सोहेल को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 11 लाख 48 हजार रुपये नगद, चोरी के पीली-सफेद धातु के आभूषण, घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15-04-2026 को थाना कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-आदिल निवासी आजाद मोहाल सदर कैण्ट लखनऊ।
- 2-सूरज निवासी पुराना किला पार्क के पास थाना हुसैनगंज लखनऊ।
- 3-सोहेल निवासी शहीद नगर पुराना किला थाना हुसैनगंज लखनऊ।

बरामदगी

- 1-चोरी के 11 लाख 48 हजार रुपये नगद।
- 2-चोरी के पीली-सफेद धातु के आभूषण।
- 3-घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन।

जनपद कानपुर देहात/थाना देवराहट

• 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 48 किलो 470 ग्राम अवैध गांजा

- घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक बरामद

दिनांक 30-04-2026 को थाना देवराहट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जल्लापुर चौराहे के पास से 02 अभियुक्तों 1-आले नवी 2-तौसीफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 48 किलो 470 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना देवराहट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-आले नवी निवासी नीवरी थाना रोरावर जनपद अलीगढ़।

2-तौसीफ निवासी जाकिर कॉलोनी थाना बिजयनगर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1-लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 48 किलो 470 ग्राम अवैध गांजा।

2-घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक।

जनपद चन्दौली/थाना नौगढ़

• 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- 32 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा

- 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद

दिनांक 30-04-2026 को थाना नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कौवाघाट पुल के पास से 02 अभियुक्तों 1-मुलायम 2-बलवन्त उर्फ गुल्लू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 32 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना नौगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—मुलायम निवासी चौधरना थाना आधौरा जनपद भभुआ बिहार।
- 2—बलवन्त उर्फ गुल्लू निवासी केसार थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली।

बरामदगी

- 1—32 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा।
- 2—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

➤ जनपद औरैया/थाना को0औरैया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 06—06 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना को0औरैया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी/323/34 भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1—अरुण कुमार 2—राजाराम उर्फ नन्दू 3—अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 06—06 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद कानपुर देहात/थाना रुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना रुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/342/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विपिन उर्फ छोटू को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद एटा/थाना बागवाला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रुपये अर्थदण्ड)

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना बागवाला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/328 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजकुमार उर्फ पिन्दू को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- कमिश्नरेट आगरा/थाना बसई अरेला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 40 हजार रुपये अर्थदण्ड)

कमिश्नरेट आगरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय आगरा द्वारा थाना बसई अरेला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 366 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त भारत को 10 वर्ष के कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद अमरोहा/थाना अमरोहा देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 02 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना अमरोहा देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विनोद उर्फ पप्पू को 10 वर्ष के कारावास व 02 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
